मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका संख्या 1156/98

भारतीय संविधान के अधीन अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका

याचिकाकर्ता: आर.के. पांडे आ. श्री रामकुमार पांडे,

निवासी– पाटनी बिल्डिंग, गणेश राम नगर, रायपुर,

जिला रायपुर, मध्य प्रदेश।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. मंडी निदेशक/आयुक्त, मंडी, किसान भवन, प्लॉट संख्या 26,

अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।

2. अतिरिक्त निदेशक, मंडी, किसान भवन, प्लॉट संख्या 26, अरेरा हिल्स,

भोपाल, मध्य प्रदेश।

3. उप–निदेशक/उप–सचिव, मंडी बोर्ड, संभागीय कार्यालय, रायपुर,

मध्य प्रदेश।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 1156/1998

याचिकाकर्ता : आर.के. पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण : मंडी निदेशक/आयुक्त,

मंडी किसान भवन और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के ओर से सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के ओर से कोई नहीं।

मौखिक आदेश

(24 जुलाई, 2006)

1. यह मामला दिनांक 09.03.1998 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर में दायर किया गया था। दिनांक 17.03.1998 को नोटिस जारी किया गया और उत्तरवादीगण ने 26.06.1998 को अपना जवाब प्रस्तुत किया।

2. यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ है। स्थानांतरण के पश्चात उत्तरवादीगण को एस.पी.सी. जारी किया गया। एस.पी.सी. के अनुपालन में उत्तरवादीगण के ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था जिसके पश्चात उसे वर्ष 1996 में सचिव, 'बी' ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया।
4. याचिकाकर्ता को दिनांक 13.12.1991 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा दो अग्रिम वेतन वृद्धि इस आधार पर प्रदान की गई कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाया था। तत्पश्चात, लगभग 05 वर्ष और 06 महीने की अवधि के पश्चात दिनांक 10.06.1997 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा दिनांक 13.12.1991 के आदेश को रद्द कर दिया गया तथा दिनांक 13.12.1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को भुगतान की गई दो अग्रिम वेतन वृद्धि की राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पहले स्वीकृत की गई दो अग्रिम वेतन वृद्धि वापस लेने तथा भुगतान की गई दो अग्रिम वेतन वृद्धि के विरुद्ध राशि वसूलने का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया।
5. उत्तरवादीगण ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को गलत विश्वास के अधीन दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किया गया था । याचिकाकर्ता दिनांक 29.01.1979 के परिपत्र के अनुसार किसी भी वेतन वृद्धि का हकदार नहीं था।
6. ऐसा हो सकता है, जब याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण द्वारा पारित आदेश के अधीन कुछ मौद्रिक लाभ अर्जित कर लिया है और इस प्रकार प्रदान किया गया लाभ याचिकाकर्ता द्वारा तथ्यों के किसी गलत बयान के आधार पर नहीं था, इस प्रकार दो अग्रिम वेतन वृद्धि वापस लेना और पहले भुगतान की गई राशिवसूली दंडात्मक प्रकृति की है क्योंकि इसके दीवानी परिणाम हो सकते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. भगवान शुक्ला, पिता सरबजीत शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य {1994 (6) सुप्रीम कोर्ट केस 154} जिसमें कर्मचारी का मूल वेतन 18.12.1970 से भूतलक्षी रूप से 190/– रुपये प्रति माह से घटाकर 181/– रुपये कर दिया गया था; उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार माना:–

> "अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से दीवानी परिणाम भुगतने पड़े हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसके वेतन में कटौती करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं दिया गया और कानून के अधीन ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे यह आदेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलार्थी को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्ष कार्रवाई के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को दीवानी परिणाम भुगतने पड़े, संबंधित कर्मचारी को नोटिस दिए बिना और मामले में उसकी सुनवाई किए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्रवाई के सिद्धांतों का पालन किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यह एक स्पष्ट मामला है जहां आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, जिसके अधीन पहले स्वीकृत की गई दो अग्रिम वेतन वृद्धि वापस ले ली गई और पहले भुगतान की गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया।

9. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 10.6.1997 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को रद्द किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु अंग्रेजी को ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Nitin Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur